

चेन्नई के ज्वैलर्स शोरूम में डकैती के दो आरोपियों को सांचौर में पकड़ा

आरोपियों से 750 ग्राम सोने तथा चार किलो चांदी के आभूषण बरामद

जालोर, (का.सं.)। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तमिलनाडु के चेन्नई शहर स्थित कृष्णा ज्वैलर्स शोरूम पर हथियारों के दम पर डकैती की वारदात कर सोने-चांदी के आभूषण लूटने के मामले में वांछित दो बदमाशों को सांचौर जिले से दस्तयाब कर तमिलनाडु से आई विशेष पुलिस टीम को सुपुर्द किया है। इन बदमाशों को दस्तयाब करने वाली एंजीटीएफ के प्रत्येक सदस्य को 10-10 हजार रुपए के नकद इनाम से सम्मानित किया गया है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एवं अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि पकड़े गए आरोपी सुरेश विश्णोई पुत्र कालूराम (28) खुमानियों की ढाणी डूंगरावा थाना बागोड़ा जिला सांचौर व अशोक कुमार विश्णोई पुत्र

■ ज्वैलर्स शोरूम में चार किलो सोने के व 13 किलो चांदी के आभूषण लूट थे

■ टीम के सदस्यों को 10-10 हजार के नकद इनाम देकर किया सम्मानित

अंबाराम (22) गांव बावरला थाना सरवाना जिला सांचौर के रहने वाले हैं। अशोक विश्णोई अपराधी प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी सोना और पेट्रोल पंप लूट की घटना में शामिल रहा है। इसके विरुद्ध सांचौर और जोधपुर जिले में सात अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इस गिरोह के सदस्य गुजरात में 12 किलो सोना लूट की वारदात में भी शामिल रहे हैं।

एडीजी एमएन ने बताया कि डीआईजी योगेश यादव व एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश के सुपरविजन में सक्रिय अपराधिक गिरोह एवं गैंगस्टर के बारे में आसूचना संकलन के लिए

सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसआई शैलेंद्र शर्मा व दुष्यंत सिंह, हेड कांस्टेबल शाहिद अली, कांस्टेबल रविंद्र सिंह, महेंद्र सिंह बृजेश कुमार की एक टीम रवाना की गई। एमएन ने बताया कि तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कमिश्नरेट के जिला अवाडी में थाना मुथापुडुपेट स्थित कृष्णा ज्वैलर्स शोरूम में कुछ हथियारबंद बदमाशों द्वारा 15 अप्रैल को डकैती की वारदात की। जिसमें हथियारों की नोक पर कर्मचारियों को डरा धमका कर 4 किलो सोने के आभूषण व 13 किलो चांदी व चांदी के आभूषण बदमाश लूट ले गये थे।

टीम को सूचना मिली कि घटना के आरोपी सुरेश विश्णोई एवं अशोक कुमार सांचौर जिले में छुपे हुए हैं।

इस सूचना पर एंजीटीएफ ने अपनी पहचान छुपाते हुए भीममाल, सांचौर, चित्तलवाना, धोरीमना बाड़मेर तथा जोधपुर में अपनी जान की परवाह न करते हुए कठोर परिश्रम कर डकैती के संबंध में आसूचना संकलन कर कड़ी मेहनत से इन दोनों बदमाशों को पकड़ा। दोनों बदमाशों को तमिलनाडु से आई टीम को सौंप दिया गया है।

एडीजी ने बताया कि इस कार्रवाई में एंजीटीएफ के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, एसआई शैलेंद्र शर्मा व दुष्यंत सिंह, हेड कांस्टेबल शाहिद अली, कांस्टेबल रविंद्र सिंह, महेंद्र सिंह व बृजेश कुमार की विशेष भूमिका रही तथा कांस्टेबल संजय सिंह का तकनीकी सहयोग रहा है।

शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग

जयपुर। प्रो. रमेशचंद्र बैरवा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। प्रो. रमेशचंद्र बैरवा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी ने 19 मई 2023 को थानाधिकारी, थाना उदेई मोड़, गंगापुर सिटी को इसी महाविद्यालय के रामकेश मीना, सह आचार्य, संस्कृत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने बाबत शिकायत दी थी। इस शिकायत पर जांच कर कार्यवाही हेतु सुरारी लाल मीणा, हेड कांस्टेबल को जांच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। थाने में दी गई शिकायत को करीब एक साल होने के है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे आरोपी रामकेश मीणा के हासिल बुलंद है। इन्होंने दोषियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

चूरू से अजमेर आए पुलिसकर्मी से मारपीट, मामला दर्ज

अजमेर, (कासं.)। अजमेर के गेगल थाना में चुनवा ड्यूटी के दौरान चूरू से अजमेर आए एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट के शिकार पुलिसकर्मी की बहन ने पत्नी और दो सालों सहित अन्य लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गेगल थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवलगढ़ शुद्धू निवासी सीमा पत्नी नरेश कुमार ने थाने में लिखित शिकायत देते हुए अपने भाई पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने बालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करावाई है। दर्ज रिपोर्ट में सीमा ने बताया कि वह

■ बहन ने पत्नी और सालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया

राजकीय सेवा में पीटीआई के पद पर नागौर में कार्यरत है। उसका बड़ा भाई अजय कुमार राजस्थान पुलिस में पुलिस लाइन चूरू में सेवारत है। भाई की लोकसभा चुनवा के दौरान अजमेर में ड्यूटी लगी थी। 22 अप्रैल को कायदा विभ्राम स्थल में जाबो के ठहराया गया था, उसी दिन उसके भाई से उसकी बात हुई थी। इसके बाद उसके भाई का मोबाइल बंद हो गया था।

सीमा ने बताया कि 25 अप्रैल को ही उसकी मां के नंबर पर फोन आया

कि चौमू पुलिस जयपुर के पास एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पड़ा है, जिसके फोन पर अजय कुमार लिखा है। मां ने उसे फोन कर घटना के बारे में बताया, इसके बाद उसके भाई को मुरलीपुरा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया था। सीमा ने बताया कि जब भाई टोक हो गया तो उसने बताया कि उसकी पत्नी, साला राकेश व नवीन सहित अन्य लोगों ने उस पर 23 अप्रैल को जानलेवा हमला किया था और किडनैप कर उसके साथ मारपीट कर मोबाइल व 20 हजार रुपए लेकर भाग गया। एसपी देवेन्द्र विश्णोई को इसकी शिकायत दी है। एसपी के आदेश पर गेगल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छह पिस्टल व 48 कारतूस के साथ तीन जने गिरफ्तार

बोकाराने, (निर्सं.)। पुलिस ने अवैध हथियारों का खजौरा पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में से एक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने अगल-अलग कार्रवाई करते हुए इनसे छह अवैध पिस्टल तथा 48 कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो लगाकर लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी कब्जा छुड़वाने का काम भी करते हैं। यह कार्रवाई चंडूसाना थाना पुलिस ने की है। पुलिस को घडूसाना में कुछ लोगों के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण पुलिस ने इसकी गंभीरता से लिया तथा टीमें भेजकर घटना के साथ इन लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 13 एमडी घडूसाना निवासी राजेश कुमार मिर्चु (36) से 4 अवैध देशी पिस्टल और

■ सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो लगा दहशत फैलाने का काम कर रहे थे आरोपी

46 कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की है। इसी प्रकार से चक 04 जीडी के बस स्टैंड के नजदीक युद्धवीर सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी 09 एलपीएम समेजा कोठी को 12 बोर अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। तीसरी कार्रवाई में पुलिस ने देशी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस बरामद कर एक जने को निरुद्ध किया है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ मामलों दर्ज किए हैं। पूछताछ में सामने आया कि ये तीनों कब्जा छुड़ाने तथा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो लगाकर लोगों में दहशत फैलाने का काम करते हैं।

जनजाति मंत्री को जान से मारने की धमकी

उदयपुर, (कासं.)। प्रदेश के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराडी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज पर आदिवासी राजा नामक ग्रुप के पेज पर बंदूक व साधियों के साथ फोटो लगा रखी है। जहां से जारी की गई धमकी में झाड़ोल विधायक एवं जनजाति मंत्री बाबूलाल खराडी को धमकाते हुए कहा कि आदिवासी हिन्दू नहीं है वह प्रकृति का पूजारी है। जिन्हें तु हिन्दू बता कर गलती कर रहा है ऐसा मत कर। इस मुद्दे से अलग हो जा नहीं तो मारा जाएगा। जल्द ही राम का प्यारा हो जाएगा। लोकसभा परिणाम से पहले तेरा परिणाम जरूर आ जाएगा। इस मामले को लेकर मंत्री बाबूलाल खराडी ने उदयपुर रेंज के आईओ अजयपाल लांबा एवं जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को शिकायत की। कोर्टाडू थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

इनकम टैक्स की धमकी देकर 10 लाख रुपए की ठगी

डूंगरपुर, (निर्सं.)। साइबर थाना डूंगरपुर में एक बुजुर्ग ने 10 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज करवाया है। इनकम टैक्स की ओर से छापा मारने की धमकी देकर उससे 16 महीने में 10 लाख 16 हजार 300 रुपए की ठगी कर ली। आरोपी ने खुद को दिल्ली इनकम टैक्स ऑफिस का अधिकारी बताया। इनकम टैक्स की रेट रोकने के नाम पर उसके साथ ठगी हुई। मामले में साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। साइबर थाना पुलिस के अनुसार यज्ञनारायण गिरी पुत्र हीरागिरी गोस्वामी निवासी दीनबा छोटा पुलिस थाना चितरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया कि एक साल पहले उसके पास एक नंबर से कॉल आया। उसने बताया कि इनकम टैक्स ऑफिस दिल्ली से बोल रहा है और आपके खाते में इतने सारे रुपए कहां से आए। इसकी जांच

इनकम टैक्स विभाग की ओर से की जा रही है। जल्द ही इनकम टैक्स रेट की कार्रवाई होने वाली है। रेट रोकने के लिए उसने 6 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। डर की वजह से 23 जनवरी 2023 को उसके लिए अकाउंट नंबर इंडियन बैंक दिल्ली में पहले 1 रुपया ट्रांसफर किया। अकाउंट होल्डर का नाम राहुल कुमार आया। दोबारा कॉल कर अविनाश मिश्रल नाम बताया। इसके बाद 15 हजार रुपए फिर से ट्रांसफर किए। इसके बाद वापस फोन कर पूरे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। बार-बार उनके फोन करने पर 23 जनवरी 2023 से लेकर 27 अप्रैल 2024 तक कुल 10 लाख 16 हजार 300 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके बाद उसे इनकम टैक्स का डर दिखाकर ठगी का पता लगा। जिस पर पीड़ित ने साइबर थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया है।

संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति की लाश मिली, महिला सहित तीन नामजद

प्रथम दृष्टया सामने आया है कि संपत्ति विवाद के चलते भाई ने ही भाई की हत्या की है

बोकाराने, (निर्सं.)। खाजूवाला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को 3 केजोडी गांव में भाई पर भाई की हत्या करने के आरोप का मामला सामने आया है। वारदात की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई जिससे क्षेत्र में हर कोई सहम सा गया। फिलहाल मृतक की पत्नी की ओर से खाजूवाला पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि खाजूवाला थाना क्षेत्र के 3 केजोडी गांव में सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था

कोरोना संक्रमित की जयपुर में मौत

सरवाड़, (निर्सं.)। सरवाड़ शहर में रहने वाले एक दुकानदार की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। कोरोना से मौत की सूचना के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सुनार की दुकान करने वाले सरवाड़ निवासी 43 वर्षीय एक जने की मौत हो गई। जिला अस्पताल में रहा उपचाररत जयपुर से मिली सूचना के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने केकड़ी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जानकारी भिजवा दी है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमित 30 अप्रैल तक जिला चिकित्सालय केकड़ी में उपचाररत रहा यहां से रैफर करने पर मई तक जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती रहा जहां उपचार के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। सम्पर्क में आए लोगों की जांच करेंगे। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवीन जांगिड़ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से मौत की सूचना मिलने के बाद रोगी के सम्पर्क में आए लोगों को चिह्नित करने का कार्य शुरू किया गया है।

■ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, एफएसएल टीम व डॉग स्वचायड ने साक्ष्य जुटाये

में लाश मिली है। जिस पर पुलिस में टीम के साथ वे स्वयं मौके पर पहुंची और बोकाराने से एफएसएल टीम व डॉग स्वचायड को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया गया। घर वालों का कहना था कि मृतक नशे का आदी था और रात को घर से बाहर चला गया था। सुबह देखा तो वो बेहोश था।

मृतक की पत्नी कर्मजीत कौर ने

पड़ोसियों से उसको सूचना मिली कि उसके पति की हत्या हो गई। मृतक की पत्नी कर्मजीत कौर की ओर से दी गई रिपोर्ट में मृतक के बड़े भाई नरेंद्र सिंह उर्फ राजू, भाभी वीरपाल कौर व पत्नीजे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक हरविंदर सिंह के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल प्रथम दृष्टया सामने आया है कि संपत्ति विवाद के चलते भाई ने ही भाई की हत्या कर दी है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

आरोपी को कोर्ट ने 24 हजार के अर्थदंड से दंडित किया

अजमेर, (कासं.)। अजमेर की पाँक्सो कोर्ट ने न्यायाधीश ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 24 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। आरोपी पीड़िता को घूमने के बहाने अहमदाबाद ले गया और होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया था।

पाँक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि मामला जवाजा थाने का है। 14 फरवरी 2023 को पीड़ित परिवार की ओर से युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। परिजन ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री बिना बताये घर से निकल गई और देर शाम तक वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बेटी घर से जाते

■ अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाह, 29 दस्तावेज पेश किये

समय 20 हजार रुपए लेकर गई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जवाजा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने 161 और 164 सीआरपीएफ के बयानों में बताया कि राजेंद्र सिंह उम्र 12 फरवरी को घूमने के बहाने ट्रेन से अहमदाबाद ले गया, जहां उसने होटल में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक परिहार

ने बताया कि पोक्सो कोर्ट संख्या-1 में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी राजेंद्र को सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिभर स्क्रीम के तहत 6 लाख रुपए दिलाने के आदेश भी की है।

न्यायाधीश ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिग को 22 वर्षीय युवक उसके माता-पिता की अनुमति के बिना फोन कर गांव के बाहर बुलाकर ट्रेन से अहमदाबाद ले जाकर होटल में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर अपराधकारित किया है। इसलिए आरोपी के साथ किसी प्रकार की नरमी का रख नहीं अपनाया जा सकता।

दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

चूरू, (कासं.)। रतननगर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यहां जिला पुलिस अधीक्षक चूरू जय यादव आईपीएस ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के दौरान आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू लोकेन्द्र दादरवाल आरपीएस व वृत्ताधिकारी वृत्त चूरू सुनिल झाड़ाडिया आरपीएस के सुपरविजन में जयप्रकाश उनि. थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर द्वारा थाना के मुकदमा नम्बर 42/2024 धारा 363, 376 (2) (एन), 376 (3), 506 भादस व 3/4 (2) 5 एल/6 पोक्सो एक्ट में फरार चल रहे मुल्जिम अनिल पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल उम्र 21 साल निवासी ढाढरिया बणीरोताता पुलिस थाना रतननगर जिला चूरू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अनुसंधान जारी है।

दुष्कर्म गिरफ्तार

धौलपुर, (निर्सं.)। धौलपुर जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फेसबुक पर पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल करने एवं दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया था और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए डीएसटी टीम को विशेष निर्देश दिए थे। तभी से गठन किया और आरोपी राजकुमार को मुखबिर की सूचना पर मरैना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने भी अनुसंधान के दौरान पाया कि आरोपी राजकुमार बार-बार फेसबुक पर पीड़िता के अश्लील फोटो वायरल कर रहा था। इस पर एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार करने के लिए डीएसटी टीम को विशेष निर्देश दिए थे। तभी अलग-अलग टीमें का गठन किया और आरोपी राजकुमार को मुखबिर की सूचना पर मरैना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

चूरू संवाददाता के अनुसार रतननगर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यहां जिला पुलिस अधीक्षक चूरू जय यादव आईपीएस ने बताया कि जयप्रकाश उनि. थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर द्वारा पोक्सो एक्ट में फरार चल रहे मुल्जिम अनिल पुत्र भंवरलाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अनुसंधान जारी है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त-जालोर
Tel.: 02973-223548, Email: secireale.jal.phed@rajasthan.gov.in/sephedjalore@yahoo.com
क्रमांक-वृत्त/जालोर/निविदा/ 2024-25/279-24 दिनांक-01.05.2024

बिड आमंत्रण सूचना (NIB) संख्या 05/2024-25
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु लोक निर्माण और वित्तीय नियम के पार्ट-4 नियम 334 (ए) (iii) के तहत रु. 150.00 लाख तक की निविदाओं हेतु केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत एवं इसके अधिक लागत की निविदाओं हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत निविदादाताओं हेतु नियमानुसार इष्ट के साथ एवं केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकृत विभागों/संस्थानों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल, डाक, दूर संचार विभागों में उपयुक्त समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से पूर्ण धरोहर राशि के साथ ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न ऑनलाइन बिड आमंत्रित की जाती है-

बिड संख्या	NIB No.	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	बिड शुल्क (रुपये)	ई-प्रक्रिया शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
05/2024-25	UBN No.---- PHE2425WSRC00143	120.00	240000/-	3000/-	2000/-	12 माह

ऑनलाइन बिड उपलब्ध होने की तिथि 02.05.2024
ऑनलाइन बिड डाउनलोड/अपलोड करने की अंतिम तिथि 22.05.2024 को 6.00 पी.एम.
ऑनलाइन बिड खोलने की तिथि 23.05.2024 को 2.00 पी.एम.

बिड से संबंधित समस्त विवरण बैंकसाई www.dipronline.org. spps.raj.nic.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(रमेश चन्द मीना)
अधीक्षण अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त-जालोर
DIP/RC/3450/2024

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त-जालोर
Tel.: 02973-223548, Email: secireale.jal.phed@rajasthan.gov.in/sephedjalore@yahoo.com
क्रमांक-वृत्त/जालोर/निविदा/ 2024-25/279-24 दिनांक-30.04.2024

बिड आमंत्रण सूचना (NIB) संख्या 01-04/2024-25
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु लोक निर्माण और वित्तीय नियम के पार्ट-4 नियम 334 (ए) (iii) के तहत रु. 150.00 लाख तक की निविदाओं हेतु केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत एवं इसके अधिक लागत की निविदाओं हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत निविदादाताओं हेतु नियमानुसार इष्ट के साथ एवं केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकृत विभागों/संस्थानों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल, डाक, दूर संचार विभागों में उपयुक्त समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से पूर्ण धरोहर राशि के साथ ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न ऑनलाइन बिड आमंत्रित की जाती है-

बिड संख्या	NIB No.	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	बिड शुल्क (रुपये)	ई-प्रक्रिया शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01/2024-25	UBN No.---- PHE2425WSRC00125	120.00	240000/-	3000/-	2000/-	12 माह

ऑनलाइन बिड उपलब्ध होने की तिथि 01.05.2024
ऑनलाइन बिड डाउनलोड/अपलोड करने की अंतिम तिथि 20.05.2024 को 6.00 पी.एम.
ऑनलाइन बिड खोलने की तिथि 21.05.2024 को 2.00 पी.एम.

बिड से संबंधित समस्त विवरण बैंकसाई www.dipronline.org. spps.raj.nic.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(रमेश चन्द मीना)
अधीक्षण अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त-जालोर
DIP/RC/3449/2024

बंद कमरे में हाथ-पैर बंधा हुआ दो दिन पुराना एक व्यक्ति का शव मिला

घटना को लेकर मृतक की पत्नी पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है

बुंदी, (निर्सं.)। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है, जहां बंद कमरे के अंदर व्यक्ति का हाथ-पैर बंधा हुआ शव मिला है। शव दो दिन पुराना बताया जा रहा है। बदबू आने व गेट से खून बाहर आने के बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी थी। कॉलोनी में शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व शहर कोतवाल मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों तथा मकान मालिक से जानकारी लेकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। परिजनों को सूचना दी है। परिजनों के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।



घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली।

को उसकी पत्नी धांपु बाई सुबह से शाम तक यही देखी गई। एक मई शाम को दोनों पति-पत्नी द्वारा साथ में भोजन करने की जानकारी पास में किराने की दुकान लगाने वाले मकान मालिक के परिजनों ने दी। मकान मालिक के अनुसार दोनों पति-पत्नी अच्छे भले रहे थे, उनके बीच किसी तरह का मनमुटाव व लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात सामने नहीं आई। घटना को लेकर मृतक की पत्नी पर

संदेह व्यक्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना से पूर्व मृतक की पत्नी उसके साथ कमरे पर ही थी, लेकिन अगले दिन 2 मई सुबह वह कहीं दिखाई नहीं दी। कमरे का बाहर से ताला लगा हुआ था। घटना के बाद मृतक की पत्नी धांपु बाई के अपने ससुराल होने की जानकारी मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मालनमासी बालाजी के पीछे जवाहर

कॉलोनी में बाहर से ताला लगे एक कमरे के अंदर से बदबू आने और खून बाहर तक फैले होने की सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी तेजपाल के साथ मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और कमरे का ताला छुड़वाया। जहां अंदर मोहनलाल पुत्र मांगीलाल तंवर 44 वर्ष निवासी घटनास्थल पर मौत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिससे दुर्गंध आ रही थी। शर्मा बताया कि मृतक के पैर-हाथ व मुंह बंधा हुआ था। प्रथम दृष्टया व्यक्ति की हत्या करना

■ शव को मोर्चरी में रखवाया, एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए

प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने हत्या के प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने बताया कि जवाहर नगर कॉलोनी में मिले शव को कब्जे लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया कर उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक मोहनलाल एक वर्ष से महावीर कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। पत्नी कभी-कभी आया करती थी। एक महीने की पत्नी को लोगों ने यहां देखा था। जिसके बाद से ही कमरे के बाहर ताला लगा हुआ ही दिखाई दिया और पत्नी भी गायब थी।